राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
स्वायत्त शासन भवन जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
E-mail : caodlb@gmail.com Fax – 0141 – 2223074/2222403

क्रमांक : प.6(च)(451)स्वी/लेखा/डीएलबी/2020/3898-4110 दिनांक : 28/09/2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें
समस्त राजस्थान।

विषयः कोविड–19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross Salary) से कटौती किये जाने हेतु।

प्रसंग : वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक : प.3(1) वित्त–1(1)/आ.व्यय./2004 पार्ट–I दिनांक 08 सितम्बर 2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रीमण्डल आज्ञा क्रमांक 108/2020 दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में माह सितम्बर 2020 देय अक्टूबर 2020 के सकल वेतन (Gross Salary) से प्रतिमाह निम्नांकित अनुसार कटौती की जावेगी :–

क्रम संख्या	सेवा का नाम	कटौती दिवस
1.	अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/प्रशिक्षु)	दो दिवस
2.	केन्द्र सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/प्रशिक्षु)	दो दिवस
3.	राज्य सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/प्रशिक्षु)	दो दिवस
4.	राज्य के अन्य समस्त अधिकारी एवम् कार्मिक (नियमित/प्रशिक्षु)	एक दिवस

उक्त आदेश राज्य के समस्त निगम, बोर्ड, आयोग, स्वायत्तशाषी संस्था, उपक्रम, सहकारी समितियों इत्यादि पर भी लागू होगा परन्तु उक्त आदेश समस्त चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारी एवम् वे कर्मचारी जो वेतनमान L-1 से L-4 की श्रेणी में वेतन आहरित कर रहे है, पर लागू नही होगा।

उपरोक्तानुसार कटौती की गई राशि बजट मद **8448 — स्थानीय निधियों की जमा, 120 — अन्य निधियां, (07) — राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष, [10] -कोरोना वायर (COVID-19) से सक्रंमित लोगों की सहायतार्थ** में जमा की जावेगी।

अतः समस्त कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेशों की पालना में माह सितम्बर 2020 देय अक्टूबर 2020 के सकल वेतन (Gross Salary) से प्रतिमाह कटौती किया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकते है।

—sd—

निदेशक व विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : प.6(च)(451)स्वी/लेखा/डीएलबी/2020/4111-4113 दिनांक : 28/09/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

01. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, निदेशक व विशिष्ट सचिव, निदेशालय।
03. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(बलबीर सिंह)
वित्तीय सलाहकार